[ 2020 ] 12 एस. सी. आर 1057

एसएमटी। एस. वनिता

वी.

द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन

जिला और ओआरएस।

( 2020 की सिविल अपील संख्या 3822)

15 दिसंबर, 2020

[ डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और इंद्रा बनर्जी, जे. जे.]

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम,

2007 : 2 ( ख) और 3-प्रत्यर्थी सं. द्वारा अधिनियम के तहत याचिका। 2 और 3 अपनी बहू (अपीलार्थी) को बेदखल करने की मांग करते हुए

उनका घर-अपीलार्थी की याचिका कि वह अपने वैवाहिक निवास के रूप में घर में रह रही थी और उसके पति (प्रतिवादी संख्या 4) ने उसे और उनकी बेटी को छोड़ दिया था-संबंधित अधिकारियों ने अपीलार्थी को घर खाली करने का निर्देश दिया-रिट याचिका-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी के पास प्रतिवादी संख्या के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। 2 और 3 क्योंकि वे घर के मालिक थे और आश्रय का दावा करने का उनका अधिकार केवल उनके पति के खिलाफ था, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की

उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः विचाराधीन परिसर

एस के अर्थ में एक 'साझा परिवार' का गठन करता है। 2 ( एस) का

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005-2005 अधिनियम का उद्देश्य एक साझा घर में रहने के महिला के अधिकार को मान्यता देना है-दोनों विधियों का उद्देश्य लोक कल्याण और हित के हितकारी पहलुओं से निपटना है-दोनों अधिनियम विशेष अधिनियम हैं-दोनों विधियों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकाला जाना चाहिए-2005 के अधिनियम के तहत एक साझा घर के लिए निवास आदेश प्राप्त करने के महिला के अधिकार को निम्न द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है -

2007 के अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश प्राप्त करना। 2007 के अधिनियम के तहत मांगे गए उपचारों के लिए अत्यधिक प्रभाव 2005 के अधिनियम के तहत अन्य सभी प्रतिस्पर्धी उपचारों को रोक नहीं सकता है-यह न्यायाधिकरण के लिए उपयुक्त होगा। 2007 2007 के अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिकल्पित रखरखाव के ऐसे उपचार प्रदान करने के लिए अधिनियम जिसके परिणामस्वरूप अन्य कानूनों के तहत प्रतिस्पर्धी उपचार नहीं होते हैं-2007 के अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को प्रतिस्पर्धा को नोटिस करने के बाद राहत को उचित रूप से ढालना चाहिए।

[ 2020 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2005 और 2007 के अधिनियमों के तहत दावा करने वाले पक्षों के दावे पीड़ित महिला 2007 के अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण से साझा परिवार के लिए राहत प्राप्त करने के बाद, सूचित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है एस के अनुसार 2005 अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट। 26 ( 3 ) 2005 का अधिनियम-यह कार्रवाई दोनों समूहों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धाराओं से त्वरित राहत सुनिश्चित करेगी। 2 ( एस), 17,26 (3) और 36।

विधियों की व्याख्याः

दो विशेष अधिनियम-प्रचलित प्रभाव-आयोजित किए गएः जहाँ दोनों अधिनियमों में अबाधित खंड हैं, वहाँ बाद में अधिनियम प्रबल होगा-हालाँकि, विशेष अधिनियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में प्रमुख

दोनों कानूनों के उद्देश्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा एक दूसरे पर प्रबल होगा -

दुभाषिया सामंजस्य के लिए होना चाहिए, न कि उत्पाद शुल्क के लिए।

परिभाषा खंड-आयोजित की व्याख्याः कहाँ का

एक अभिव्यक्ति की परिभाषा 'साधन' को अपनाती है और 'शर्त' को शामिल करती है, इसका उद्देश्य संपूर्ण होना है।

शब्द और वाक्यांशः

' साझा घर '-घरेलू हिंसा से महिलाओं की रोकथाम अधिनियम, 2005 के संदर्भ में इसका अर्थ है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 की उप-धारा (2) के प्रावधानों का अर्थ लगाने पर, यह स्पष्ट है कि

उन आवेदकों के बेटे द्वारा जो अपनी बहू को बेदखल करने की मांग कर रहे हैं। बेटे ने अपीलार्थी से अपनी शादी से कुछ महीने पहले संपत्ति खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा संपत्ति को उसके पिता को हस्तांतरित किया गया और यह तथ्य कि यह कई वर्षों के अंतराल के बाद उसी विचार के लिए था, महत्वपूर्ण है। पिता ने, बदले में, अपने जीवनसाथी के पक्ष में एक उपहार विलेख निष्पादित किया। अपीलार्थी ने दावा किया है कि वह अपने वैवाहिक निवास, एस. एम. टी. के रूप में घर में रह रही थी।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु शहरी जिला

जब तक आवेदन जमा नहीं हो जाता। उसके पति ने (उसके अनुसार) उसे और उनकी नाबालिग बेटी को छोड़ दिया है और उन्हें अधर में छोड़ दिया है। बकाया राशि का भुगतान न करने पर परिसर की बिजली काट दी गई। उनकी बेटी ने इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की है, लेकिन उसके पिता-चौथे उत्तरदाता ने कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। जो स्थानान्तरण हुए हैं, उन्हें चल रहे वैवाहिक विवाद के संदर्भ से अलग नहीं देखा जा सकता है। [ पैरा 17 और 23] [1087-सी-डी; 1077-ई-एच; 1078-ए]

2.1 अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि परिसर

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम) की धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर एक "साझा परिवार" का गठन करना। धारा 2 (ओं) में "साझा परिवार" अभिव्यक्ति की परिभाषा में "साधन और शामिल" परिभाषा के परिचित विधायी सूत्र का उपयोग किया गया है। जहाँ एक अधिनियम में एक अभिव्यक्ति की परिभाषा एक 'साधन और शामिल' को अपनाती है।

शर्त, यह संपूर्ण होने का इरादा है। परिभाषा का 'मतलब' भाग इंगित करता है कि आम तौर पर अभिव्यक्ति के दायरे में क्या आता है, जबकि 'शामिल' तत्व इसे एक विस्तारित अर्थ देता है। एक साथ वे संकेत देते हैं कि विधायिका ने एक विस्तृत गणना के लिए प्रावधान किया है जो इसके भीतर आता है।

परिभाषा की सीमा। 'मतलब' अभिव्यक्ति के उपयोग का उद्देश्य इसे संपूर्ण बनाना है। दूसरी ओर, 'शामिल' अभिव्यक्ति के उपयोग का उद्देश्य इसे और अधिक व्यापक बनाना है। एक अभिव्यक्ति का उपयोग करके विधायिका में शामिल हैं 'उदाहरण,

वाक्यांश के अर्थ के बावजूद, एक इरादाः " कानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाना। “ "को समझने के लिए उपयोग किया जाता हैः" न केवल ऐसी चीजें जो वे अपनी प्रकृति के अनुसार दर्शाती हैं

और आयात करते हैं लेकिन उन चीजों को भी जो व्याख्या खंड

घोषणा करता है कि वे शामिल होंगे "। [ पैरा 18] [1078-सी; 1079-बी-सी; डी-एफ]

न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

सिंह, लेक्सिस नेक्सिस, 14 वां संस्करण। पृष्ठ 197-199-संदर्भित

को।

2.2 हालांकि, जब एक वैधानिक परिभाषा में 'साधन और शामिल' दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है, तो इरादा परिभाषा को संपूर्ण बनाना होता है। धारा 2 (ओं) में 'साझा परिवार' की परिभाषा

0 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 का प्रावधान संपूर्ण है। की परिभाषा

2005 के पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 2 (ओं) में 'साझा परिवार' अभिव्यक्ति दो भागों में हैः परिभाषा के माध्यम भाग में 'साझा परिवार' अभिव्यक्ति का अर्थ है (i) एक ऐसा परिवार जहां पीड़ित व्यक्ति या तो अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहता है या (ii) किसी भी स्तर पर अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहा है। इसके बाद एक समावेशी तत्व आता है, ताकि ऐसे घर को कवर किया जा सके (i) चाहे वह पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो या (ii) उनमें से किसी एक के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति हो।

या प्रत्यर्थी या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक या इक्विटी है। इसे समावेशी या विस्तारित भी दिया गया है।

अर्थात्, जो एक ऐसे परिवार तक फैला हुआ है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें एक प्रत्यर्थी एक सदस्य है, भले ही प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति को कोई अधिकार हो, साझा घराने में स्वामित्व या ब्याज। समावेशी परिभाषा के अंतिम भाग का उद्देश्य एक साझा परिवार के अर्थ को ऐसी स्थिति तक बढ़ाना है जहां परिवार वास्तव में एक संयुक्त परिवार से संबंधित है, जिसमें प्रतिवादी एक सदस्य है। विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हालांकि न तो प्रतिवादी और न ही ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति को साझा परिवार में कोई अधिकार, अधिकार या हित हो सकता है, लेकिन यह परिभाषा के दायरे में आएगा। [ पैरा 18 और 19] [1080-बी-सी, ई-एच; 1081-ए-बी]

सतीश चंद्र आहूजा बनाम। स्नेहा आहूजा सिविल अपील सं।

2483 2020 का, 15 अक्टूबर 2020 को तय किया गया-निर्भर

पर।

3.1 पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 36 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचार अन्य उपचारों के अतिरिक्त हैं और उन्हें विस्थापित नहीं करते हैं। माता-पिता और वरिष्ठों का रखरखाव और कल्याण

नागरिक अधिनियम 2007 निस्संदेह एक बाद का अधिनियम है और इसकी धारा 3 में कहा गया है कि इसके प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद

किसी अन्य अधिनियम में निहित कुछ भी असंगत। हालाँकि, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 3 के प्रावधान एस. एम. टी. प्रदान करते हैं।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु शहरी जिला

यह बल और प्रभाव पर हावी है, अपने आप में एक महिला को वंचित करने के इरादे का निर्णायक नहीं होगा जो अधिकार का दावा करती है

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत एक साझा परिवार। [ पैरा 20] [1082 जी-एच; 1083-ए-सी]

3.2 वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि

गैर-अवरोधक खंडों वाले दो विशेष अधिनियमों की स्थिति में, बाद का कानून आम तौर पर प्रबल होगा। वर्तमान मामले में, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में एक गैर-बाध्यकारी खंड है। तथापि, विशेष अधिनियमों के बीच टकराव की स्थिति में, दोनों कानूनों के प्रमुख उद्देश्य का विश्लेषण करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा दूसरे पर प्रबल होना चाहिए। दुभाषिया का प्राथमिक प्रयास सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए, न कि उत्पाद शुल्क। वर्तमान मामले में, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 36, हालांकि एक गैर-बाधा खंड की प्रकृति में नहीं है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 3 में गैर-बाधा खंड के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए जो संचालित होता है।

एक अलग क्षेत्र में। [ पैरा 20] [1083-सी-डी; 1084-बी-सी]

सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2001) 3 एस. सी. सी. 71: [ 2001 ] 1 एस. सी. आर. 932; बैंक ऑफ इंडिया बनाम केतन पारेख (2008) 8 एससीसी 148: [ 2008 ] 9 एससीआर 346; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

वी. भारत संघ (2019) 8 एससीसी 416: [ 2019 ] 10 एस. सी. आर. 381 पर भरोसा किया।

3.3 दोनों विधियों का उद्देश्य लोक कल्याण और हित के हितकारी पहलुओं से निपटना है। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम

2005 इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा की समस्याओं से निपटना था, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के बयानों से पता चलता है, "व्यापक रूप से प्रचलित है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में काफी हद तक अदृश्य रहा है"। उद्देश्यों और कारणों के बयान इंगित करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए ने एक महिला द्वारा अपने पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के अधीन होने के कारण एक दंडात्मक अपराध बनाया, लेकिन नागरिक कानून ने इसकी घटना को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 के प्रावधानों के अनुरूप, संसद ने एक कानून बनाया जो "नागरिक कानून के तहत एक उपाय प्रदान करेगा जिसका उद्देश्य महिला को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाना और घरेलू हिंसा की घटना को रोकना है।

समाज "। [ पैरा 21] [1084-सी-ई] [2020] 12 एस. सी. आर.

3.4 पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के कानून का उद्देश्य महिलाओं के आवास को सुरक्षित करने के अधिकारों का प्रावधान करना और उन्हें मान्यता देना है और किसी महिला के वैवाहिक घर या साझा घर में रहने के अधिकार को मान्यता देना, चाहे उसका साझा घर में कोई अधिकार हो या न हो। [ पैरा 21] [1085-बी-सी]

3.5 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 को सभी स्थितियों में एक प्रमुख बल और प्रभाव रखने की अनुमति देना, चाहे कोई भी हो

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के अर्थ के भीतर एक साझा घर में एक महिला के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अधिकार, उस उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देंगे जिसे संसद ने बाद के कानून को लागू करने में प्राप्त करने की कोशिश की थी। वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे बेसहारा या अपने बच्चों या रिश्तेदारों की दया पर न रहें। समान रूप से, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के उद्देश्य को वैधानिक व्याख्या के माध्यम से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों विधियों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकाला जाना चाहिए। इसलिए एक महिला का साझा परिवार के संबंध में निवास आदेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाकर बेदखली का आदेश प्राप्त करने के सरल उपाय से पराजित

अधिनियम 2007। [ पैरा 21] [1085-जी-एच; 1086-ए-बी]

3.6 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 को लागू किया गया था

धारा 8 के तहत दीवानी न्यायालयों की सभी शक्तियों के साथ जांच के लिए प्रक्रियाएं। सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 27 के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, धारा 3 के तहत वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत आवेदकों द्वारा मांगे गए उपचारों के लिए अति प्रभाव नहीं हो सकता है। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य सभी प्रतिस्पर्धी उपचारों और सुरक्षाओं को रोकने के लिए व्याख्या की गई। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 भी एक विशेष कानून की प्रकृति में है, जिसे सामाजिक और आर्थिक रूप से लैंगिक भेदभाव को ठीक करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक समाज में असमानताएँ। [ पैरा 22] [1086-बी-डी]

3.7 दोनों विधानों के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह एस. एम. टी. के तहत एक न्यायाधिकरण के लिए उपयुक्त होगा।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु शहरी जिला

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 2 (बी) के तहत परिकल्पित रखरखाव के ऐसे उपाय प्रदान करने के लिए, जो इसके परिणामस्वरूप पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 जैसे अन्य विशेष कानूनों के तहत प्रतिस्पर्धी उपायों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 22] [1086-ई]

3.8 पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 26 कुछ राहतों को सशक्त बनाती है,

किसी भी कानूनी कार्यवाही में किसी भी दीवानी अदालत से प्राप्त किए जाने वाले निवास आदेश के लिए राहत सहित। इसलिए, यदि एक समग्र विवाद का आरोप लगाया जाता है, जैसे कि वर्तमान मामले में जहां मुकदमा परिसर कानून द्वारा संरक्षित दो समूहों के बीच विवाद का स्थल है, तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण के लिए उचित रूप से

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत दावा करने वाले पक्षों के प्रतिस्पर्धी दावों को ध्यान में रखने के बाद राहतों को ढालें। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 3 को लागू नहीं किया जा सकता है

कानून में अन्य सुरक्षाओं, विशेष रूप से पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत एक 'साझा घर' के लिए एक महिला के अधिकार की अधिक सवारी और रद्द करना। यदि "पीड़ित महिला"

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत गठित एक न्यायाधिकरण से राहत प्राप्त करने पर, वह यह सूचित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगी कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसार पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 और पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के सामान्य इरादे-अपने संरक्षित समूहों को त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए, जो दोनों समाज के कमजोर सदस्य हैं, को प्रभावी ढंग से साकार किया जाए। कानून में अधिकार जीवन में अधिकारों में तभी परिवर्तित हो सकते हैं जब उनकी प्राप्ति में न्यायसंगत आसानी हो। [ पैरा 22] [1086-ई-एफ; 1087-ए-सी]

3.9 तथ्य यह है कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत विशिष्ट कार्यवाही तब शुरू नहीं की गई थी जब इसके तहत आवेदन किया गया था वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 दायर किया गया था, जिससे ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जहां बेदखली के आदेश के प्रवर्तन से वह कानून के तहत अपने हक के दावे को आगे बढ़ाने से वंचित हो जाए। न्यायिक उपचार तक पहुँचने में एक महिला की असमर्थता, जैसा कि यह मामला उदाहरण देता है, अभाव, अज्ञानता या संसाधनों की कमी का परिणाम हो सकता है।

अन्यथा भी, संक्षिप्त प्रक्रिया का सहारा लें

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 द्वारा परिकल्पित रणनीतियों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं था जो [2020] 12 एस. सी. आर. को हराने के लिए बनाई गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साझा परिवार के संबंध में अपीलार्थी का दावा। एक साझा परिवार की व्याख्या उस निवास को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए जहां अपीलार्थी अपने पति के साथ संयुक्त रूप से रह रहा था। केवल इसलिए कि संपत्ति का स्वामित्व बाद में उसके ससुराल वालों को हस्तांतरित कर दिया गया है (दूसरा और तीसरा)

प्रत्यर्थी) या कि उसका अलग हो चुका जीवनसाथी (चौथा प्रत्यर्थी) अब अलग रह रहा है, अपीलार्थी को उस सुरक्षा से वंचित करने का कोई आधार नहीं है जिसकी परिकल्पना पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। [ पैरा 23] [1087-जी-एच; 1088-ए-सी]

3.10 इसलिए, अपीलार्थी का दावा है कि परिसर

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के अर्थ के भीतर एक साझा परिवार का गठन उपयुक्त मंच द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 द्वारा सौंपी गई संक्षिप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को बेदखल करके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को उचित मंच के समक्ष रखरखाव भत्ते में बदलाव के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 10 के तहत बाद में आवेदन करने की स्वतंत्रता है। [ पैरा 24] [1088-सी-ई]

मामला कानून संदर्भ

[ 2001 ] 1 एससीआर 932

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[ 2008 ] 9 एससीआर 346

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[ 2019 ] 10 एससीआर 381

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3822

2020 से।

उच्च न्यायालय के 17.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की रिट अपील संख्या 2874 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

यतीश मोहन, ई. सी. विद्या सागर, सुभाष चंद्र सागर, राजेश

महाले, हरिशा एस. आर., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

एसएमटी। एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु शहरी जिला

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

एक पृष्ठभूमि

बी.

प्रस्तुतियाँ

एस विधायी योजनाः वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007

...

एक महिला का निवास का अधिकारः घरेलू के खिलाफ सुरक्षा हिंसा

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत प्रतिस्पर्धी राहतों में सामंजस्य स्थापित करना

ई.

और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007

सारांश

एफ.

एक पृष्ठभूमि

1. वर्तमान विवाद अपीलार्थी, जो उनकी पुत्रवधू है, के खिलाफ दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं द्वारा दायर एक आवेदन से उत्पन्न होता है। दूसरे और तीसरे उत्तरदाता चौथे के माता-पिता हैं। प्रत्यर्थी, जो अपीलार्थी का अलग पति/पत्नी है। दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 1 के रखरखाव और कल्याण के प्रावधानों के तहत एक आवेदन दायर किया, और अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलकर्ता और उसकी बेटी को उत्तरी बेंगलुरु में एक आवासीय घर से बेदखल करने की मांग की।

2. सहायक आयुक्त और अपील में उपायुक्त ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत आवेदन की अनुमति दी और अपीलार्थी को सूट परिसर खाली करने का निर्देश दिया। इससे व्यथित

आदेश, अपीलार्थी ने एकल न्यायाधीश के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट कार्यवाही का असफल रूप से पीछा किया, और कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष अपील की। डिवीजन बेंच ने 17 सितंबर 2019 के अपने फैसले में कहा कि मुकदमा परिसर अपीलार्थी की सास (दूसरे प्रतिवादी) का है और रखरखाव और आश्रय के लिए अपीलार्थी का उपाय केवल उसके खिलाफ है।

उसका अलग पति (चौथा उत्तरदाता)। डिवीजन बेंच ने उपायुक्त के आदेश को बरकरार रखा और अपीलार्थी को 31 दिसंबर 2019 से पहले मुकदमा परिसर खाली करने का निर्देश दिया। चुनौती देते हुए

1 " वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 "2" सूट परिसर "[2020] 12 एस. सी. आर.

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत उसे बेदखल करने का आदेश देने के लिए अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में, अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का रुख किया है।

3. अपीलार्थी और चौथे प्रतिवादी की शादी 30 तारीख को हुई थी।

मई 2002। इसके तुरंत बाद, दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद पैदा हो गया। अपीलार्थी का आरोप है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया था और यहां तक कि 20034 में उसके पिता के खिलाफ विभाजन का मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे बाद में उसने वापस ले लिया, क्योंकि उसके पति ने कथित तौर पर उसे दूसरी महिला के साथ संबंध बनाने के लिए छोड़ दिया था। विवाद का विषय गंगोंडनहल्ली, दसानपुरा, होबली में स्थित एक आवासीय घर है।

बेंगलुरु उत्तर तालुक। अपीलार्थी द्वारा उससे शादी करने से कुछ महीने पहले, 2 मई 2002 को चौथे प्रतिवादी द्वारा भूमि खरीदी गई थी। अपीलार्थी का आरोप है कि उसके पिता ने इस खरीद के एक हिस्से का वित्तपोषण किया था।

और बेटा रुपये के समान विचार के लिए था। 9 लाख, जैसा कि चौथे प्रतिवादी द्वारा 2002 में संपत्ति की मूल खरीद के लिए भुगतान किया गया था। तब तक, अपीलार्थी और चौथे प्रतिवादी की एक बेटी थी। 2009 में, चौथे प्रतिवादी ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नेलमंगला के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (आई. ए.) और (आई. बी.) के तहत तलाक के लिए एक याचिका दायर की। तीसरा प्रत्यर्थी, संपत्ति की खरीद के बाद और एक घर का निर्माण करने के बाद, इसे 19 जुलाई 2010 को अपने जीवनसाथी-दूसरे प्रत्यर्थी को उपहार में दिया। इसके तुरंत बाद, 17 अगस्त 2010 को, दूसरे प्रतिवादी ने जे. एम. एफ. सी., नेलमंगला के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता को मामले में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।

मुक़दमे की संपत्ति का अधिकार। मुकदमा लंबित है। 5 दिसंबर 2013 को, तलाक के लिए याचिका को ट्रायल जज द्वारा अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी और चौथे प्रतिवादी के बीच विवाह को भंग कर दिया गया था। 19 मार्च 2014 को, अपीलार्थी ने इसके लिए एक कार्यवाही शुरू की रखरखाव। उन्होंने ट्रायल जज द्वारा अपनी शादी को भंग करने के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अपील भी दायर की। तलाक और भरण-पोषण की कार्यवाही भी लंबित है।

7 2010 का ओएस 312 8 सिविल न्यायाधीश (जूनियर डी. एन.) के समक्ष 2014 का आपराधिक विविध 114 , 2014 एस. एम. टी. का जे. एम. एफ. सी. नेलमंगला 9 एम. एफ. ए. 3968।

S.VANITHA v. द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

5. 2015 में, तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के प्रावधानों को लागू किया।

सहायक आयुक्त, बेंगलुरु उत्तर उपखंड। उनके बेटे (चौथे प्रतिवादी) और अपीलार्थी को याचिका के उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया था। जिन राहतों की मांग की गई थी वे थीं:

( i) वाद परिसर से अपीलार्थी की बेदखली जहाँ वह

रहता था;

( (ii) चौथे उत्तरदाता को एक राशि का भुगतान करने का निर्देश

माता-पिता को मासिक रखरखाव के माध्यम से Rs.15,000; और

( iii) अपीलार्थी और चौथे प्रत्यर्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश। 25,000 कानूनी खर्चों के लिए।

अपीलार्थी ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत दायर याचिका पर आपत्ति दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह एक दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही है जो

उसे सूट परिसर से बेदखल करने के एकमात्र इरादे से स्थापित किया गया। अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि कार्यवाही मिलीजुली प्रकृति की थी और दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं और उसके अलग हो चुके पति/पत्नी (चौथे उत्तरदाता) द्वारा उसे उसके वैवाहिक घर से बेदखल करने का प्रयास किया गया था। अपीलार्थी ने विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई अधिकारी उसे परिसर से बेदखल करने की कार्यवाही पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के रखरखाव का प्रावधान है, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं है

बेदखली के आदेश की परिकल्पना करते हुए, और यह कि अधिकारियों के पास उसे परिसर से हटाने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

6. सहायक आयुक्त ने 25 जून 2015 के एक आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि आवासीय घर राज्य की स्व-अर्जित संपत्ति थी।

तीसरा प्रत्यर्थी जिसे उन्होंने बाद में दूसरे प्रत्यर्थी को उपहार में दिया। अपीलार्थी संपत्ति में रह रहा था, लेकिन उसे कोई अधिकार या अधिकार नहीं माना गया था। भरण-पोषण के लिए अपीलार्थी की याचिका (सहायक आयुक्त के विचार में) केवल चौथे प्रतिवादी के खिलाफ उठाई जा सकती है। इसलिए, सहायक आयुक्त ने (i) चौथे प्रत्यर्थी को अपने माता-पिता को Rs.10,000 का मासिक रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश देकर और (ii) अपीलार्थी को परिसर खाली करने का निर्देश देकर याचिका को स्वीकार कर लिया।

7. अपीलार्थी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री के खिलाफ दायर अपील थी 10 2015 की याचिका 31 [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14 जनवरी 2016 को कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और पक्षों को सुनने के बाद नए आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र वाले परिवार न्यायालय में भेज दिया। अपील के लंबित रहने के दौरान, चौथे प्रतिवादी ने दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया। रिमांड पर, तलाक की कार्यवाही और भरण-पोषण के लिए आवेदन निपटान के लिए लंबित हैं।

8. 29 फरवरी 2016 को, उपायुक्त ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील के साथ-साथ सहायक आयुक्त के आदेश के खिलाफ चौथे प्रतिवादी द्वारा एक सहयोगी अपील। यह आदेश

इस प्रकार अपीलार्थी को वाद परिसर खाली करने की आवश्यकता की पुष्टि की गई। अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 18 जून 2019 के एक फैसले में कहा कि मुकदमे का परिसर तीसरे प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी-दूसरे प्रतिवादी-को 19 जुलाई 2010 के एक पंजीकृत उपहार विलेख द्वारा हस्तांतरित किया गया है। एकल न्यायाधीश ने दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं के इस तर्क पर ध्यान दिया कि एक वैवाहिक विवाद के बाद, उनके बेटे (चौथे उत्तरदाता) ने सदन छोड़ दिया था, जिसके बाद अपीलार्थी ने उन्हें 12 अगस्त 2010 को बेदखल कर दिया था और वे वर्तमान में अपने "मूल स्थान" में रह रहे हैं। इस तथ्य के आलोक में कि अपीलार्थी और चौथे प्रत्यर्थी के बीच विवाह को विचारण न्यायाधीश द्वारा भंग कर दिया गया था, एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का वाद परिसर पर कोई अधिकार नहीं है और भरण-पोषण के लिए उसका दावा केवल चौथे के खिलाफ दावा करके ही किया जा सकता है।

उत्तरदाता। हालाँकि, अपीलार्थी ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है ताकि उसे बेदखल करने का आदेश दिया जा सके, एकल न्यायाधीश ने निवेदन को संबोधित नहीं किया।

एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने एक रिट अपील में आदेश को चुनौती दी। एक बार फिर, सुनवाई के दौरान यह आग्रह किया गया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत शुरू की गई कार्यवाही केवल अपीलार्थी को हटाने का एक साधन थी

और यह कि अधिकारियों के पास उसे बेदखल करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के विचारों को दोहराया और कहा कि अपीलार्थी के पास दूसरे और तीसरे प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है जो मुकदमा परिसर के मालिक हैं। इसने अभिनिर्धारित किया कि रखरखाव और आश्रय के लिए अपीलार्थी का दावा केवल चौथे प्रतिवादी के खिलाफ होगा। एस. एम. टी. के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति से निपटने में।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डिवीजन बेंच ने खाली करने का निर्देश देने के लिए सहायक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में केवल यह कहा कि यह इस निवेदन से सहमत नहीं था कि "सहायक आयुक्त आदेश पारित करने में असमर्थ था।

अपीलार्थी को बेदखल करने का निर्देश देना "।

बी प्रस्तुतियाँ

9. उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से व्यथित अपीलार्थी ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री यतीश मोहन ने प्रस्तुत किया कि:

अपीलार्थी अपने वैवाहिक घर में रह रही है।

( (i)

चौथे प्रत्यर्थी के कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी और उसे उसके साझा घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है, संरक्षण की धारा 17 द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण को देखते हुए

घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम 2005 1 1:

वरिष्ठ नागरिकों की धारा 3 और 4 के तहत कार्यवाही

( (ख)

अधिनियम 2007 को उसकी सास और ससुर ने उसके अलग हो चुके पति या पत्नी के साथ मिलकर दायर किया था ताकि उसे यौन शोषण से वंचित किया जा सके। उसका वैवाहिक घर;

( iii)

अपीलार्थी की वर्तमान स्थिति पर खंड पीठ का निष्कर्ष आवासीय स्थिति एक धोखाधड़ीपूर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। कथित डाक कवर 21 जून 2018 को एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भेजा गया था, और केवल एक डाक समर्थन ("ऐसा कोई व्यक्ति नहीं") का संकेत दिया गया था क्योंकि यह तब आया था जब घर पर कोई मौजूद नहीं था।

इसे प्राप्त करें;

( iv) 5 दिसंबर 2013 को निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ पारित विवाह विच्छेद की डिक्री को 14 जनवरी 2016 को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और कार्यवाही को नए सिरे से निपटाने के लिए अधिकार क्षेत्र के परिवार न्यायालय में वापस भेज दिया गया है। इसलिए, आज तक, अपीलार्थी चौथे प्रत्यर्थी के साथ विवाह के वैध संबंध में बनी हुई है और उसके पास अपने नाबालिग के साथ वाद परिसर के अलावा रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है।

बेटी;

11 " पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 "[2020] 12 एस. सी. आर.

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के प्रावधान हैं -

( v)

अपीलार्थी के अधिकारों को पराजित करने के लिए हेरफेर किया गया। जिस तरह से अपीलार्थी के जीवनसाथी द्वारा उसके पिता को परिसर हस्तांतरित किया गया था और उसके बाद अपीलार्थी की सास को उपहार विलेख एक प्रयास का संकेत है।

अपीलार्थी के दावों को विफल करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करना; और पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपने अधिकार का दावा करने में

( vi)

2005 , अपीलार्थी इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है

सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा 1. कुल मिलाकर और

तथ्य यह है कि यह आग्रह किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत गठित अधिकारियों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश दें। इसके अलावा,

कार्यवाहियों का उपयोग अपीलार्थी को बेदखल करने के लिए किया गया है ताकि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत साझा घर में रहने के अधिकार के उसके दावे को अस्वीकार किया जा सके।

10. दूसरी ओर, अपीलार्थी की दलीलों का खंडन करते हुए, श्री राजेश महाले, विद्वान वकील, पक्ष में पेश हुए।

दूसरे और तीसरे उत्तरदाता प्रस्तुत करते हैं किः

दूसरा प्रत्यर्थी (जो 72 वर्ष का है) और

( (i)

तीसरा प्रतिवादी (जो 82 वर्ष का है) वरिष्ठ नागरिक हैं।

( (ख)

मुक़दमा परिसर का निर्माण तीसरे प्रतिवादी द्वारा किया गया था

अपीलार्थी के ससुर, बेंगलुरु उत्तरी तालुक के गंगोंडनहल्ली में स्थित 1200 वर्ग फुट के भूखंड पर। यह बाद में दूसरे प्रतिवादी, अपीलार्थी की सास को उपहार में दिया गया था।

( 111 ) अपीलार्थी को समवर्ती रूप से निष्कासित पाया गया है

संपत्ति से दूसरे और तीसरे उत्तरदाता उनका होना और अवैध रूप से प्रवेश करना

अधिकार; और

( iv) दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं ने इसके तहत एक आवेदन दायर किया

सहायक के समक्ष वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007

अपीलार्थी को बेदखल करने के लिए आयुक्त और

उनके कब्जे की बहाली, जिसे अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से अनुमति दी गई है।

1 2020 की अपील सं. 2483,15 अक्टूबर 2020 को तय की गई वाणीथा बनाम.

डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु एन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर श्री महाले ने कहा कि

जबकि अध्याय II माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को निर्वाह और रखरखाव के लिए मौद्रिक राहत प्रदान करने के आदेशों के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, अध्याय V में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रावधान हैं। अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति की उपेक्षा, उत्पीड़न और सुरक्षा के खिलाफ राहत सहित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के प्रभावी रखरखाव के लिए एक संक्षिप्त जांच के बाद आदेश जारी करने का काम सौंपा गया है।

धारा 23 दो अलग और विशिष्ट अधिकार प्रदान करती हैः

धारा 23 (1) न्यायाधिकरण को यह घोषित करने का अधिकार देती है कि

( अ)

एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण शून्य है, जहां हस्तांतरण बुनियादी प्रदान करने पर सशर्त था

वरिष्ठ नागरिक के लिए सुविधाएं और शारीरिक आवश्यकताएँ, जहाँ

हस्तांतरणकर्ता उन्हें प्रदान करने में विफल रहता है;

धारा 23 (2) किसी व्यक्ति के पूर्व-विद्यमान अधिकार को मान्यता देती है।

( ख)

वरिष्ठ नागरिक एक संपत्ति से रखरखाव प्राप्त करने के लिए और अधिकार की सूचना रखने वाले हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ इसे लागू करने योग्य बनाने का अधिकार सुरक्षित करता है;

धारा 2 (बी) में "रखरखाव" अभिव्यक्ति में निवास के लिए प्रावधान शामिल है और रहने का अधिकार एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा लागू किया जा सकता है, यदि संपत्ति को रखरखाव के लिए उपयुक्त प्रावधान किए बिना हस्तांतरित किया जाता है; और

हालांकि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में एक स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो न्यायाधिकरण को बेदखली पारित करने में सक्षम बनाता है

आदेशों के अनुसार, शक्ति को आवश्यक निहितार्थ द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर पढ़ा जाना चाहिए। ऐसी व्याख्या, यह [2020] 12 एस. सी. आर. रही है।

आग्रह किया गया, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण होगा। इसके विपरीत दृष्टिकोण कारण होगा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कठिनाई जो अपने निर्वाह के साधनों से जबरन बेदखल होने के बावजूद शक्तिहीन होंगे।

संसद ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि

स्थानीय अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिकृत करना और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दी जा सकने वाली राहत को सीमित करना गलत होगा।

न्यायाधिकरण केवल मौद्रिक राहत के लिए है। किसी वरिष्ठ नागरिक को अपनी संपत्ति की वसूली के लिए दीवानी अदालत में जाने से अधिनियम के प्रावधान विफल हो जाएंगे। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि इस तरह की व्याख्या को नहीं अपनाया जाना चाहिए।

सी विधायी योजनाः वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।

वर्तमान विवाद पर असर डालना। ' रखरखाव 'को अन्य बातों के अलावा, भोजन, कपड़े, निवास, चिकित्सा सहायता और उपचार के प्रावधानों को शामिल करने के लिए एक समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है। 'संपत्ति' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने में, कानून व्यापक शब्दावली का उपयोग करता है। "किसी भी प्रकार की संपत्ति" को शामिल करना और "ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित" को शामिल करना। धारा 3 1 5 द्वारा अधिनियमन के प्रावधानों को प्रमुख प्रभाव दिया गया है। अध्याय I में शामिल परिभाषाओं के अलावा, अध्याय II का शीर्षक "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव" है जबकि अध्याय V का शीर्षक "वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति का संरक्षण" है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण कानून के अधिनियमन के लिए तर्क को इंगित करता हैः

" भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों पर जोर दिया गया

बुजुर्गों की देखभाल करना। हालांकि, मुरझाने के कारण

संयुक्त परिवार प्रणाली, बड़ी संख्या में बुजुर्गों की देखभाल उनके परिवार द्वारा नहीं की जा रही है। नतीजतन, कई बुजुर्ग व्यक्ति, विशेष रूप से

142 ( च) "सम्पत्ति" से किसी भी प्रकार की सम्पत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह चल हो या अचल, पैतृक हो या स्व-अर्जित, मूर्त या अमूर्त और इसमें ऐसी सम्पत्ति में अधिकार या हित शामिल हैं; प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य अधिनियम में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। इस अधिनियम के अलावा, या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी साधन में।

एसएमटी। एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विधवा महिलाएँ अब अपने सभी गोधूलि वर्ष बिताने के लिए मजबूर हैं

अकेले रहते हैं और भावनात्मक उपेक्षा और शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी के संपर्क में आते हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वृद्धावस्था एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है और वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि माता-पिता

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रखरखाव का दावा कर सकते हैं,

1973 , यह प्रक्रिया समय लेने वाली होने के साथ-साथ महंगी भी है।

इसलिए, सरल, सस्ता और तेज़ होने की आवश्यकता है।

माता-पिता के लिए भरण-पोषण का दावा करने के प्रावधान।

संक्षेप में समीक्षा की गई, धारा 4 एक पात्रता को मान्यता देती है -

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों में रखरखाव। धारा 5 उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसके द्वारा रखरखाव के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 6 अधिकारिता और प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को स्पष्ट करती है।

धारा 7 में रखरखाव के गठन के लिए शर्तें हैं। न्यायाधिकरण। धारा 8 में जाँच करने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। धारा 11 में रखरखाव के आदेश को लागू करने का प्रावधान है।

14. माता-पिता सहित एक वरिष्ठ नागरिक, जो अपनी कमाई या अपने स्वामित्व वाली संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है,

एक वरिष्ठ नागरिक को बनाए रखने के लिए बच्चों या रिश्तेदारों का हिस्सा, ऐसी आवश्यकताओं तक विस्तारित करना जो उन्हें सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाए। किसी रिश्तेदार के मामले में, दायित्व यह है कि क्या वे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के कब्जे में हैं या उनसे संपत्ति विरासत में प्राप्त करेंगे। इसलिए, एक वरिष्ठ नागरिक के बच्चों के मामले में, माता-पिता को बनाए रखने का दायित्व वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के कब्जे में होने या भविष्य में विरासत के अधिकार पर सशर्त नहीं है। 16 4. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव। ( 1 ) माता-पिता सहित एक वरिष्ठ नागरिक जो अपनी कमाई या अपने स्वामित्व वाली संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, धारा 5 के तहत आवेदन करने का हकदार होगा।

( (i) माता-पिता या दादा-दादी, अपने एक या अधिक बच्चों के नाबालिग न होने के विरुद्ध; (ii) एक निःसंतान वरिष्ठ नागरिक, धारा 2 के खंड (छ) में निर्दिष्ट अपने रिश्तेदार के खिलाफ।

( 2 ) बच्चों या रिश्तेदारों का दायित्व, जैसा भी मामला हो, एक वरिष्ठ नागरिक को बनाए रखने का दायित्व ऐसे नागरिक की जरूरतों तक फैला हुआ है ताकि वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन जी सकें। ( 3 ) अपने माता-पिता का पालन-पोषण करने का बच्चों का दायित्व ऐसे माता-पिता या माता या दोनों की जरूरतों को पूरा करता है, ताकि ऐसे माता-पिता सामान्य जीवन जी सकें।

0 ] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. रखरखाव न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

( धारा 7 के तहत गठित) एक संक्षिप्त प्रकृति का है जैसा कि धारा 8 (1) में प्रदान किया गया है और एक दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियों के साथ, जैसा कि धारा 8 (2) 1 7 में प्रदान किया गया है। धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत, जहां एक वरिष्ठ नागरिक खुद को और बच्चों या रिश्तेदारों को बनाए रखने में सक्षम नहीं है,

मामला हो सकता है, उपेक्षा या उन्हें बनाए रखने से इनकार, न्यायाधिकरण को वरिष्ठ नागरिक के रखरखाव के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का आदेश देने का अधिकार है, जैसा कि न्यायाधिकरण उचित समझे। मासिक भत्ते की राशि को अन्य बातों के साथ-साथ धारा 10 1 9 के तहत परिस्थितियों में बदलाव पर बदला जा सकता है।

16. हाथ में मामले के तथ्यों के लिए विशेष प्रासंगिकता है

अध्याय 5, जो एक वरिष्ठ नागरिक के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। धारा 23 निम्नलिखित शर्तों में आगे बढ़ती हैः ( 4 ) कोई भी व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का रिश्तेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक को बनाए रखेगा बशर्ते कि वह ऐसे नागरिक की संपत्ति के कब्जे में हो या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का उत्तराधिकारी होः

बशर्ते कि जहां एक से अधिक रिश्तेदार किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं, वहां भरण-पोषण ऐसे रिश्तेदार द्वारा उस अनुपात में देय होगा जिसमें वे उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे।

178. जाँच के मामले में संक्षिप्त प्रक्रिया। ( 1 ) धारा 5 के तहत कोई भी जांच करने में, न्यायाधिकरण, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, इस तरह के सारांश का पालन कर सकता है।

प्रक्रिया जैसा वह उचित समझता है। ( 2 ) न्यायाधिकरण के पास शपथ पर साक्ष्य लेने और गवाहों की उपस्थिति को लागू करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की खोज और उत्पादन को मजबूर करने के उद्देश्य से और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए जो निर्धारित किए जा सकते हैं, दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और न्यायाधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के सभी उद्देश्यों के लिए दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

रखरखाव के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन करें, जैसा वह उचित समझे। ( 2 ) जहाँ न्यायाधिकरण को यह प्रतीत होता है कि किसी सक्षम सिविल के किसी निर्णय के परिणामस्वरूप न्यायालय, धारा 9 के तहत किए गए किसी भी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, यह आदेश को रद्द कर देगा या, जैसा भी मामला हो, उसी के अनुसार एस. एम. टी. में परिवर्तन करेगा।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 23. संपत्ति का हस्तांतरण कुछ परिस्थितियों में अमान्य होगा। ( 1 ) जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, उपहार के रूप में या अन्यथा अपनी संपत्ति हस्तांतरित की है,

इस शर्त के अधीन कि हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएँ और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएँ प्रदान करेगा और

हस्तांतरणकर्ता ऐसी सुविधाएँ और भौतिक आवश्यकताएँ प्रदान करने से इनकार करता है या विफल रहता है, संपत्ति का उक्त हस्तांतरण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव में किया गया माना जाएगा और हस्तांतरणकर्ता के विकल्प पर न्यायाधिकरण द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा।

( 3 ) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इन अधिकारों को लागू करने में असमर्थ है उप-धारा (1) और (2), धारा 5 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी भी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 23 की उप-धारा (1) में ऐसी स्थिति शामिल है जहां संपत्ति

किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा (उपहार या अन्यथा) कानून के अधिनियमन के बाद इस शर्त के अधीन स्थानांतरित किया गया है कि हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उप-धारा (1) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां संपत्ति का हस्तांतरण एक विशिष्ट शर्त के साथ होता है।

एक वरिष्ठ नागरिक का रखरखाव और आवश्यकताएँ। ऐसी स्थिति में, यदि हस्तांतरणकर्ता रखरखाव और भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करने में विफल रहता है, तो संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से दूषित माना जाता है। उप-धारा 1, दूसरे शब्दों में, कानून की एक काल्पनिक कल्पना पैदा करती है जहां संपत्ति का हस्तांतरण एक के अधीन है

एक वरिष्ठ नागरिक के रखरखाव और बुनियादी जरूरतों के लिए शर्त और शर्त उस व्यक्ति द्वारा पूरी नहीं की जाती है जिस पर दायित्व लगाया जाता है। फिर, हस्तांतरणकर्ता के विकल्प पर, न्यायाधिकरण द्वारा हस्तांतरण को अमान्य घोषित किया जा सकता है। दूसरी ओर, धारा 23 की उप-धारा (2) में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां एक वरिष्ठ नागरिक को संपत्ति से रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार है। जहाँ ऐसा अधिकार मौजूद है, वहाँ रखरखाव का अधिकार लागू किया जा सकता है जहाँ संपत्ति या उसका एक हिस्सा, एक हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ स्थानांतरित किया जाता है जिसके पास अधिकार की सूचना है; या यदि [2020] 12 एस. सी. आर.

स्थानांतरण निःशुल्क है। हालाँकि अधिकार को किसी हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ विचार के लिए और अधिकार की सूचना के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। अब, धारा 23 की उप-धारा (1) में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां संपत्ति का हस्तांतरण वरिष्ठ नागरिक द्वारा किया जाता है। यह उप-धारा (1) की भाषा से स्पष्ट है, अर्थात् "जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, उपहार के रूप में या अन्यथा स्थानांतरण किया है,

उसकी संपत्ति। " दूसरी ओर, धारा 23 की उप-धारा (2)

इसका पालन करें: ( i) संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से किया गया माना जाएगा; और (ii) हस्तांतरणकर्ता के विकल्प पर हस्तांतरण को न्यायाधिकरण द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा। उप-धारा (1) में उपबंधित अनुमानित परिणाम को उप-धारा (2) में शामिल नहीं किया गया है। उप-धारा (2), इसके विपरीत, यह निर्धारित करती है कि रखरखाव प्राप्त करने के अधिकार को इसके खिलाफ लागू किया जा सकता है। एक निः शुल्क हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता जिसे किसी नागरिक के संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने के पूर्व-विद्यमान अधिकार की सूचना दी गई है, भले ही वह संपत्ति का हस्तांतरणकर्ता हो। कानून के अधिनियमन में अंतर्निहित हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 'हस्तांतरण' अभिव्यक्ति में न केवल संपत्ति का पूर्ण हस्तांतरण शामिल होगा, बल्कि

संपत्ति में अधिकार या ब्याज का हस्तांतरण भी। यह एस. एम. टी. में भी होगा।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

लाभप्रद उद्देश्य और इसके प्रावधानों का उद्देश्य। धारा 23 की उप-धारा (2) "भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार" के प्रवर्तन की बात करती है। जो अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित रखरखाव के लिए केवल एक आदेश को लागू करने की तुलना में अपनी प्रकृति में अधिक व्यापक है।

17. धारा 23 की उप-धारा (2) का सार, जैसा कि दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह है कि न्यायाधिकरण ने

अपीलार्थी को बेदखल करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र जो है

उनकी बहू। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, बेदखली का आदेश देने की शक्ति 'प्राप्त करने के अधिकार' की गारंटी देने वाले प्रावधान में निहित है

किसी संपत्ति का रखरखाव और उस अधिकार का प्रवर्तन। प्रस्तुतिकरण का समर्थन करते हुए, उन्होंने उस दृष्टिकोण का उल्लेख किया है जो

कई उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया, यह दर्शाता है कि न्यायाधिकरण किसी बच्चे या किसी रिश्तेदार को किसी वरिष्ठ व्यक्ति की संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। नागरिक, जहाँ वरिष्ठ नागरिक को बनाए रखने के दायित्व का उल्लंघन हुआ है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत न्यायाधिकरण के पास वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और समीचीन होने पर बेदखली का आदेश देने का अधिकार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, बेदखली रखरखाव और संरक्षण के अधिकार के प्रवर्तन की एक घटना होगी। हालाँकि, यह उपाय विवाद में प्रतिस्पर्धी दावों को स्वीकार करने के बाद ही दिया जा सकता है। यह दोहराना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में स्थिति यह है कि बेदखली

पुत्रवधू अर्थात अपीलार्थी से माँगा गया था। जिस भूमि पर घर का निर्माण किया गया है, वह मूल रूप से उन आवेदकों के बेटे द्वारा खरीदी गई थी जो अपनी बहू को बेदखल करने की मांग कर रहे हैं। बेटे ने अपीलार्थी से अपनी शादी से कुछ महीने पहले संपत्ति खरीदी थी। बाद में उन्होंने एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा संपत्ति को अपने पिता को हस्तांतरित कर दिया था और यह तथ्य कि कई वर्षों के अंतराल के बाद यह उसी विचार के लिए था, महत्वपूर्ण है। पिता ने, बदले में, अपने जीवनसाथी के पक्ष में एक उपहार विलेख निष्पादित किया। अपीलार्थी ने दावा किया है कि वह आवेदन दायर होने तक अपने वैवाहिक निवास के रूप में घर में रह रही थी। उसके पति ने (उसके अनुसार) उसे और उनकी नाबालिग बेटी को छोड़ दिया है और उन्हें अधर में छोड़ दिया है। बकाया राशि का भुगतान न करने पर परिसर की बिजली काट दी गई। उनकी बेटी ने इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की है, लेकिन उसके पिता-चौथे उत्तरदाता ने कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

जो स्थानान्तरण हुए हैं, उन्हें चल रहे वैवाहिक विवाद के संदर्भ से अलग नहीं देखा जा सकता है। मुद्दा यह है कि क्या बहू और नाबालिग बेटी के रूप में अपीलार्थी को उपरोक्त तरीके से बेदखल किया जा सकता था।

डी एक महिला का निवास का अधिकारः घरेलू के खिलाफ सुरक्षा

हिंसा

18. इस मुद्दे के निर्णय पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि

अधिकार को स्पष्ट करें, जिसका दावा अपीलार्थी द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि परिसर पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर एक "साझा घर" का गठन करता है। धारा 2 (ओं) परिभाषित करती है

निम्नलिखित शब्दों में "साझा घर" अभिव्यक्तिः

" ( (ङ) "साझा घर" से ऐसा घर अभिप्रेत है जहाँ व्यक्ति पीड़ित जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रहा हो।

या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ और इस तरह के एक शामिल हैं

परिवार चाहे उसका स्वामित्व हो या संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया हो

पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी, या उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा किरायेदार उनमें से कोई भी जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या

प्रत्यर्थी या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, ब्याज है।

या इक्विटी और इसमें ऐसा परिवार शामिल है जो संबंधित हो सकता है

संयुक्त परिवार जिसमें से प्रतिवादी एक सदस्य है, चाहे कोई भी हो

चाहे प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति को कोई अधिकार हो,

साझा घराने में स्वामित्व या ब्याज;

( जोर दिया गया)

धारा 192 0 द्वारा निवास आदेश पारित करने पर विचार किया गया है

धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट

20 19. निवास आदेश 1) धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, मजिस्ट्रेट, यह संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, एक निवास आदेश पारित कर सकता है-(ए) प्रतिवादी को साझा घर से पीड़ित व्यक्ति के कब्जे को बेदखल करने या किसी अन्य तरीके से बाधित करने से रोक सकता है, चाहे प्रतिवादी का साझा घर में कानूनी या न्यायसंगत हित हो या नहीं; (बी) प्रतिवादी को साझा घर से खुद को हटाने का निर्देश देना; (सी) प्रतिवादी या उसके किसी भी रिश्तेदार को साझा घर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है; (डी) प्रतिवादी को साझा घर से अलग करने या निपटाने से रोकना या बशर्ते कि खंड (ख) के तहत कोई आदेश किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पारित नहीं किया जाएगा जो एक महिला है।

एसएमटी। एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005। अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का सार यह है कि निष्कासन का आदेश जो सारांश के अभ्यास में किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 द्वारा सौंपी गई शक्तियां अपीलार्थी को उसके उपायों का सहारा लेने से पूरी तरह से हटा देंगी।

उस परिसर के संबंध में पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 (1), जिसे वह अपना साझा घर होने का दावा करती है। धारा 2 (ओं) में "साझा परिवार" अभिव्यक्ति की परिभाषा में "साधन और शामिल" परिभाषा के परिचित विधायी सूत्र का उपयोग किया गया है। जहाँ एक अधिनियम में एक अभिव्यक्ति की परिभाषा एक 'साधन और शामिल' शर्त को अपनाती है, तो इसका उद्देश्य संपूर्ण होना है। परिभाषा का 'मतलब' भाग इंगित करता है कि आम तौर पर अभिव्यक्ति के दायरे में क्या आता है, जबकि 'शामिल' तत्व इसे एक विस्तारित अर्थ देता है। एक साथ वे संकेत देते हैं कि विधायिका ने परिभाषा के दायरे में आने वाली चीज़ों की एक विस्तृत गणना के लिए प्रावधान किया है। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों पर अपने मौलिक ग्रंथ में कहा हैः

" विधानमंडल के पास किसी शब्द को कृत्रिम रूप से भी परिभाषित करने की शक्ति है। इसलिए परिभाषा खंड में किसी शब्द की परिभाषा या तो उसके सामान्य अर्थ के लिए प्रतिबंधात्मक हो सकती है या यह उसी का व्यापक हो सकता है। जब किसी शब्द को 'मतलब' के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण है।

दूसरी ओर, "शामिल" शीर्षक दिया गया है ताकि एक व्यापक अर्थ को समझा जा सकेः

" जबकि, जहां परिभाषित शब्द को इस तरह के और इस तरह के 'शामिल' घोषित किया जाता है, परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है। जब एक संशोधन अधिनियम द्वारा, परिभाषा अनुभाग में 'शामिल' शब्द को 'अर्थ' शब्द के लिए प्रतिस्थापित किया गया था, तो यह माना गया था कि इरादा था इसे और व्यापक बनाने के लिए "।

'मतलब' अभिव्यक्ति के उपयोग का उद्देश्य इसे संपूर्ण बनाना है। दूसरी ओर, 'शामिल' अभिव्यक्ति का उपयोग करने का उद्देश्य है इसे और व्यापक बनाएँ। विधायिका एक अभिव्यक्ति 'शामिल' का उपयोग करके, वाक्यांश के अर्थ के बावजूद, एक इरादे को दर्शाती हैः

" कानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाना।

21 लेक्सिस नेक्सिस, 14 वां संस्करण।

197-199 [2020] 12 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" "सम्मिलित" का उपयोग समझने के लिए किया जाता हैः

" न केवल ऐसी चीजें जो वे अपनी प्रकृति और महत्व के अनुसार दर्शाती हैं, बल्कि वे चीजें भी जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है।

कि वे शामिल होंगे "

हालांकि, जब एक वैधानिक परिभाषा में 'साधन और शामिल' दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है, तो इसका उद्देश्य परिभाषा को संपूर्ण बनाना होता है।

" इसके अलावा, एक परिभाषा 'साधन और शामिल' के रूप में हो सकती है, जहां फिर से परिभाषा संपूर्ण है।

[ इस संदर्भ में जागीर सिंह बनाम बिहार राज्य; ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 997, पी. पी. में निर्णय देखें। 999 , 1001 : 1976 एस. सी. सी. (कर) 204: ( 1976 ) 2 एससीसी 942; कासिलिंगम बनाम पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ऊपर,

भारत कॉप। बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कॉप। बैंक कर्मचारी संघ, (2007) 4 एस. सी. सी. 685 (पैरा 23): ( 2007 ) 4 जेटी 573: ( 2007 ) 2 एलएलजे 825: ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2320; पॉल एंटरप्राइज बनाम राजीब चटर्जी

और कंपनी, (2009) 3 एस. सी. सी. 709 पैरा 28: ( 2009 ) 1 जेटी 632] "

19. पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 2 (ओं) में 'साझा परिवार' की परिभाषा विस्तृत है। यह भी हाल ही में माना गया है

इसलिए, सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा 2 2 22 [सतीश चंद्र] मामले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा दिए गए इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा। 2005 के पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 2 (ओं) में 'साझा परिवार' अभिव्यक्ति की परिभाषा दो भागों में हैः परिभाषा के माध्यम भाग में अभिव्यक्ति 'साझा घर' का अर्थ है

( i) एक ऐसा परिवार जहाँ पीड़ित व्यक्ति या तो अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहता है या;

( (ii) किसी भी स्तर पर या तो अकेले घरेलू संबंध में रहा है।

या उत्तरदाता के साथ।

इसके बाद एक समावेशी तत्व आता है, ताकि ऐसे घर को कवर किया जा सके (i) चाहे वह पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो या (ii) उनमें से किसी के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो।

जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों का संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, अधिकार या समानता हो। इसे एक समावेशी या विस्तारित अर्थ भी दिया गया है, जो एक ऐसे परिवार तक फैला हुआ है जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है, जिसमें कोई भी प्रतिवादी सदस्य हो।

22 2020 की सिविल अपील संख्या 2483,15 अक्टूबर 2020 एस. एम. टी. को तय की गई।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

च चाहे प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति को साझा परिवार में कोई अधिकार, स्वामित्व ब्याज हो। समावेशी परिभाषा के अंतिम भाग का उद्देश्य एक साझा परिवार के अर्थ को एक स्थिति तक बढ़ाना है।

यहाँ परिवार वास्तव में एक संयुक्त परिवार से संबंधित है, जिसमें से

उत्तरदाता एक सदस्य होता है। विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हालांकि न तो प्रत्यर्थी, और न ही ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति को साझा परिवार में अधिकार, अधिकार या हित हो सकता है, लेकिन यह चाहे कुछ भी हो।

परिभाषा के दायरे में।

परिभाषा में ऊपर जो अर्थ सादा भाषा को दिया गया है, वह तीन न्यायाधीशों के फैसले के अनुरूप है।

सतीश चंद्र में इसे इस प्रकार समझाया गया हैः

" 55 ..... परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला, जो "अर्थ" शब्द का अनुसरण करता है और दूसरा जो "शामिल" शब्द का अनुसरण करता है। "सम्मिलित" के बाद आने वाला दूसरा भाग आगे उप हो सकता है।

दो भागों में विभाजित। पहले भाग में लिखा है, "साझा घर का अर्थ है एक ऐसा घर जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर या तो अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहा है।" इस प्रकार, एक साझा परिवार के लिए पूरी की जाने वाली पहली शर्त यह है कि पीड़ित व्यक्ति जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रहा है। दूसरे भाग को दो भागों में उपविभाजित किया गया है-(ए) ऐसा परिवार, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो और जो उनमें से किसी एक के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, स्वामित्व, ब्याज या इक्विटी हो और (बी) ऐसा परिवार शामिल है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रतिवादी सदस्य हो, चाहे वह प्रतिवादी हो या पीड़ित व्यक्ति।

साझा घराने में कोई अधिकार, शीर्षक या हित है। उपरोक्त में

परिभाषा में, दो अभिव्यक्तियाँ, अर्थात्, "पीड़ित व्यक्ति" और "प्रतिवादी" उत्पन्न हुई हैं। उपरोक्त परिभाषा से निम्नलिखित स्पष्ट हैः - ( (i) यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति

परिसर का स्वामी या तो संयुक्त रूप से या एकल रूप से हो सकता है या इसे संयुक्त रूप से या एकल रूप से किराये पर दे सकता है; (ii) परिवार एक संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रतिवादी एक सदस्य है, चाहे वह संयुक्त रूप से या एकल रूप से हो।

प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति को साझा परिवार में कोई अधिकार, अधिकार या हित है; और (iii) साझा परिवार या तो प्रतिवादी द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराये पर लिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'साझा घर' की परिभाषा के दायरे और 2005 के पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति अशोक

भूषण ने कहाः

" अधिनियम, 2005 की धारा 17 और 19 के साथ पठित धारा 2 (ओं) एक

साझा परिवार के तहत रहने के अधिकार की महिला के पक्ष में हकदारी, चाहे उसका कोई भी कानूनी हित हो

उसी में या नहीं "।

2005 के पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 2 (क्यू) में 'प्रतिवादी' अभिव्यक्ति को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

" ( क्यू) "प्रत्यर्थी" का अर्थ है कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है और

जिनके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने कोई राहत मांगी है

यह अधिनियमः "

उपरोक्त परिभाषा और धारा 2 (ओं) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने सतीश चंद्र मामले में निर्णय दियाः

" 64 ..... खंड में देखी गई साझा परिवार की परिभाषा

2 ( एस) यह इंगित नहीं करता है कि एक साझा परिवार वह होगा जो पति से संबंधित है या किराए पर लिया गया है। हमने देखा है कि

अधिनियम के तहत "प्रतिवादी" की परिभाषा। उत्तरदाता ए में

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही कोई भी रिश्तेदार हो सकती है पति को। यदि साझा परिवार पति के किसी भी रिश्तेदार का है, जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रही है, तो धारा 2 (ओं) में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं और उक्त घर एक साझा घर बन जाएगा।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला किः

" 84 ..... धारा 2 (ओं) में दी गई साझा परिवार की परिभाषा को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि साझा परिवार केवल वह परिवार हो सकता है जो संयुक्त परिवार का परिवार है जिसमें पति एक सदस्य है या जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पति के पास एक परिवार है।

साझा करें "।

ई. पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धी राहतों का सामंजस्य बनाना

2005 और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007

20. पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 3623 में कहा गया है कि

अधिनियम के प्रावधान इसके अतिरिक्त होंगे, न कि इसके अपमान में

23 36 - अधिनियम जो किसी अन्य कानून का अपमान नहीं करता है-इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।

एसएमटी। एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचार अन्य उपचारों के अतिरिक्त हैं और उन्हें विस्थापित नहीं करते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 निस्संदेह बाद का है। अधिनियम और जैसा कि हमने पहले देखा है, धारा 3 में कहा गया है कि किसी अन्य अधिनियम में कुछ भी असंगत होने के बावजूद इसके प्रावधान प्रभावी होंगे। हालाँकि, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 3 के प्रावधान, जो इसे प्रबल शक्ति और प्रभाव प्रदान करते हैं, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत एक साझा घर में अधिकार का दावा करने वाली महिला को वंचित करने के इरादे के बारे में निर्णायक नहीं होंगे। वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि दो विशेष अधिनियमों की स्थिति में जिसमें गैर-अवरोधक खंड होते हैं, बाद का कानून आम तौर पर प्रबल होगा। 24 वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में एक गैर-बाध्यकारी खंड है। हालाँकि, विशेष अधिनियमों के बीच टकराव की स्थिति में, दोनों कानूनों के प्रमुख उद्देश्य का विश्लेषण करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा दूसरे पर प्रबल होना चाहिए। दुभाषिया का प्राथमिक प्रयास सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए, न कि उत्पाद शुल्क। बैंक ऑफ इंडिया बनाम के मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। केतन पारेख 2 5 ने इसी तरह के तथ्यात्मक परिदृश्य की जांच करते हुए कहा किः

" 28. वर्तमान मामले में, दोनों अधिनियम अर्थात 1992 का अधिनियम और 1993 का अधिनियम गैर-अबाधित खंड से शुरू होते हैं। 1993 के अधिनियम की धारा 34 गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है, इसी तरह 1992 के अधिनियम की धारा 9-ए (एस. आई. सी. 13)। लेकिन संयोग से, इस मामले में धारा 9-ए बाद में आई यानी यह 25-1-1994 पर आई। इसलिए, यह एक बाद का कानून है जिसका 1993 के अधिनियम पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जहां दोनों अधिनियम

गैर-बाध्यकारी खंड है तो उस मामले में, उचित

परिप्रेक्ष्य यह होगा कि किसी को उस विषय और प्रमुख उद्देश्य को देखना होगा जिसके लिए विशेष अधिनियम बनाया गया था और यदि प्रमुख उद्देश्य उस आकस्मिकताओं द्वारा कवर किया गया है, तो इसके बावजूद कि अधिनियम बाद में आया होगा, फिर भी इरादे का पता लगाया जा सकता है

वस्तुएँ और कारण। हालाँकि, जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह स्पष्ट है कि 1992 के अधिनियम की धारा 9-ए को 25-1-1994 पर संशोधित किया गया था, जबकि 1993 का अधिनियम 1993 में आया था। अतः 1992 के अधिनियम में धारा को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया।

24 सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, (2001) 3 एससीसी 71 25 (2008) 8 एससीसी 148 [2020] 12 एस. सी. आर.

9 - ए 1994 में बाद का कानून होने के कारण प्रबल होगा न कि

1993 के अधिनियम के प्रावधान।

( जोर दिया गया)

वैधानिक व्याख्या के इस सिद्धांत की भी पुष्टि की गई थी

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। भारत संघ। 26 वर्तमान मामले में, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 36, हालांकि एक गैर-बाध्यकारी खंड की प्रकृति में नहीं है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 3 में गैर-बाध्यकारी खंड के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए जो एक अलग मामले में काम करता है।

मैदान।

21. इस मामले में, कानून के दोनों टुकड़ों से निपटने का इरादा है

लोक कल्याण और हित के हितकारी पहलुओं के साथ। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 का उद्देश्य घरेलू हिंसा की समस्याओं से निपटना था, जो "व्यापक रूप से प्रचलित है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में काफी हद तक अदृश्य है"। उद्देश्यों और कारणों के बयानों से संकेत मिलता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए ने एक महिला द्वारा अपने पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के अधीन होने के कारण एक दंडात्मक अपराध बनाया, लेकिन नागरिक कानून ने इसकी घटना को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 के प्रावधानों के अनुरूप, संसद ने एक कानून बनाया जो "नागरिक कानून के तहत एक उपाय प्रदान करेगा जिसका उद्देश्य महिला को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाना है और

समाज में घरेलू हिंसा की घटना को रोकें। विधेयक के दायरे को इस प्रकार समझाया गया है:

" 4. विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए प्रावधान करना चाहता है: ( i) यह उन महिलाओं को शामिल करता है जो रिश्ते में हैं या रही हैं।

दुर्व्यवहार करने वाले के साथ जहाँ दोनों पक्ष एक साझा में एक साथ रहे हैं गृहस्थ हैं और रक्त-संबंध, विवाह या उसके माध्यम से संबंधित हैं

विवाह या गोद लेने की प्रकृति का संबंध। इसके अलावा,

एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी शामिल हैं। यहाँ तक कि वे महिलाएं जो बहनें हैं, विधवाएँ हैं,

विधेयक किसी संबंध में रहने वाली पत्नी या महिला को सक्षम बनाता है। प्रस्तावित के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए विवाह की प्रकृति

पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के खिलाफ अधिनियम,

26 ( 2019 ) 8 एससीसी 416 एसएमटी।

एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह पति या पुरुष साथी की किसी भी महिला रिश्तेदार को पत्नी या महिला साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं बनाता है।

( ii) यह अभिव्यक्ति "घरेलू हिंसा" को वास्तविक दुर्व्यवहार या धमकी या दुर्व्यवहार को शामिल करने के लिए परिभाषित करता है जो शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक है। महिला या उसके रिश्तेदारों से गैरकानूनी दहेज की मांग के माध्यम से उत्पीड़न भी इसके तहत शामिल होगा।

परिभाषा।

( (iii) यह महिलाओं के आवास को सुरक्षित करने के अधिकारों का प्रावधान करता है। यह एक महिला के अपने वैवाहिक जीवन में रहने के अधिकार का भी प्रावधान करता है।

घर या साझा घर, चाहे उसके पास ऐसे घर या घर में कोई अधिकार हो या न हो। यह अधिकार एक द्वारा सुरक्षित है निवास
आदेश, जो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है।

( (iv) यह मजिस्ट्रेट को पक्ष में सुरक्षा आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा या किसी अन्य निर्दिष्ट कार्य में सहायता करने या करने से रोकने के लिए,

किसी कार्यस्थल या किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करना जहाँ अक्सर पीड़ित व्यक्ति, उसके साथ संवाद करने का प्रयास करना, दोनों पक्षों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को अलग करना और उसके साथ हिंसा करना।

पीड़ित व्यक्ति, उसके रिश्तेदार या अन्य जो उसे प्रदान करते हैं

घरेलू हिंसा से सहायता।

पीड़ित व्यक्ति को उसकी चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रदाता, आदि। "

उपरोक्त सार इंगित करता है कि एक महत्वपूर्ण वस्तु

कानून महिलाओं के आवास को सुरक्षित करने के अधिकारों को प्रदान करने और मान्यता देने के लिए है और एक महिला के वैवाहिक घर या एक साझा घर में रहने के अधिकार को मान्यता देने के लिए है, चाहे उसका साझा घर में कोई अधिकार हो या न हो। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के अर्थ के भीतर एक साझा घर में एक महिला के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धी अधिकारों की परवाह किए बिना, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 को सभी स्थितियों में एक प्रबल शक्ति और प्रभाव रखने की अनुमति देना, उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा। जिसे संसद ने बाद वाले कानून को लागू करने में हासिल करने की कोशिश की। वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे बेसहारा या अपने बच्चों या रिश्तेदारों की दया पर न रहें। समान रूप से, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के उद्देश्य को [2020] 12 एस. सी. आर. द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

वैधानिक व्याख्या की स्पष्टता। दोनों विधियों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकाला जाना चाहिए। इसलिए एक साझा परिवार के संबंध में निवास आदेश प्राप्त करने के लिए एक महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाकर बेदखली का आदेश प्राप्त करने के सरल उपाय से पराजित नहीं किया जा सकता है।

22. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 था

वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित और सस्ता उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया। तदनुसार, धारा 7 के तहत न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था। इन न्यायाधिकरणों के पास धारा 8 के तहत दीवानी न्यायालयों की सभी शक्तियों के साथ जांच के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाएं संचालित करने की शक्ति है। सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 27 के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालाँकि, धारा 3 के तहत वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत आवेदकों द्वारा मांगे गए उपचारों के लिए अत्यधिक प्रभाव की व्याख्या पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य सभी प्रतिस्पर्धी उपचारों और सुरक्षाओं को रोकने के लिए नहीं की जा सकती है। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 भी एक विशेष कानून की प्रकृति में है, जिसे लिंग सुधार के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है

भेदभाव जो बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के रूप में सामने आता है। दोनों विधानों के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत एक न्यायाधिकरण के लिए यह उचित होगा कि वह वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 2 (बी) के तहत परिकल्पित रखरखाव के ऐसे उपचार प्रदान करे, जिनके परिणामस्वरूप पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 जैसे अन्य विशेष कानूनों के तहत प्रतिस्पर्धी उपचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 2627 किसी भी कानूनी कार्यवाही में किसी भी दीवानी अदालत से प्राप्त किए जाने वाले निवास आदेश के लिए राहत सहित कुछ राहतों को सशक्त बनाती है। इसलिए, यदि एक समग्र विवाद का आरोप लगाया जाता है, जैसे कि वर्तमान मामले में जहां मुकदमा परिसर कानून द्वारा संरक्षित दो समूहों के बीच विवाद का स्थल है, तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण के लिए उचित रूप से राहत को ढालने के लिए उचित होगा।

27 26. अन्य मुकदमों और कानूनी कार्यवाही में राहत। ( 1 ) धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध कोई भी राहत किसी दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत या आपराधिक अदालत के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही में भी मांगी जा सकती है, जो पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को प्रभावित करती है, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में शुरू की गई हो। ( 2 ) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी राहत किसी अन्य राहत के अलावा और उसके साथ मांगी जा सकती है जो पीड़ित व्यक्ति दीवानी या आपराधिक अदालत के समक्ष ऐसे मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में मांग सकता है। ( 3 ) यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में कोई राहत प्राप्त की गई है, तो वह मजिस्ट्रेट को ऐसी राहत देने के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य होगी।

एसएमटी। एस. वनिता बनाम द डेप्युटी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत दावा करने वाले पक्षों के प्रतिस्पर्धी दावे

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण से राहत प्राप्त करने पर, वह पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसार पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगी। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 और पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के सामान्य इरादे-अपने संरक्षित समूहों को त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए, जो दोनों समाज के कमजोर सदस्य हैं, को प्रभावी ढंग से साकार किया जाए। कानून में अधिकार जीवन में अधिकारों में तभी परिवर्तित हो सकते हैं जब उनकी प्राप्ति में न्यायसंगत आसानी हो। 23. वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के प्रावधानों का अर्थ लगाने पर वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए

2007 , यह स्पष्ट है कि यह उस स्थिति पर लागू होता है जहां एक वरिष्ठ नागरिक को किसी संपत्ति से रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपत्ति या उसके हिस्से का हस्तांतरण किया जाता है। दूसरी ओर, अपीलार्थी की सरल याचिका है -

अपीलार्थी ने इसे कुछ महीने पहले अपने नाम से खरीदा था। विवाह लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद इसे एक पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत अपने पिता (पिता के ससुर) को उसी कीमत पर बेच दिया।

अपीलार्थी), जिसने चौथे द्वारा तलाक की कार्यवाही शुरू किए जाने के बाद इसे अपने पति या पत्नी यानी अपीलार्थी की सास को उपहार में दिया।

उत्तरदाता। इसके समानांतर, अपीलार्थी ने अपनी सास और उसके अलग हो चुके पति या पत्नी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की कार्यवाही शुरू की थी और उसके पति या पत्नी ने तलाक की कार्यवाही शुरू की थी। अपीलार्थी ने चौथे प्रतिवादी के खिलाफ भरण-पोषण के लिए भी कार्यवाही दायर की थी और तलाक की कार्यवाही लंबित है। यह इन घटनाओं के बाद है कि दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं ने इसके तहत एक आवेदन स्थापित किया

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। यह तथ्य कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत विशिष्ट कार्यवाही तब शुरू नहीं की गई थी जब वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत आवेदन दायर किया गया था, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जब बेदखली के आदेश के प्रवर्तन से वह कानून के तहत अपने हक के दावे को आगे बढ़ाने से वंचित हो जाए। एक महिला की असमर्थता

न्यायिक उपचार तक पहुँच, जैसा कि यह मामला उदाहरण देता है, एक परिणाम हो सकता है। अभाव, अज्ञानता या संसाधनों की कमी। अन्यथा भी हम [2020] 12 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट रूप से विचार की गई संक्षिप्त प्रक्रिया का सहारा लेने का दृष्टिकोण

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 द्वारा साझा परिवार के संबंध में अपीलार्थी के दावे को विफल करने के लिए बनाई गई रणनीतियों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं था। एक साझा परिवार होना चाहिए

व्याख्या उस निवास को शामिल करने के लिए की गई जहाँ अपीलार्थी अपने पति के साथ संयुक्त रूप से रह रही थी। केवल इसलिए कि संपत्ति का स्वामित्व बाद में उसके ससुराल वालों (दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं) को हस्तांतरित कर दिया गया है या कि उसका अलग हो चुका जीवनसाथी (चौथा उत्तरदाता) अब अलग रह रहा है, अपीलार्थी को उस सुरक्षा से वंचित करने का कोई आधार नहीं है जिसकी परिकल्पना पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत की गई थी।

एफ सारांश

24. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी का यह दावा कि परिसर पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के अर्थ के भीतर एक साझा घर का गठन करता है, उपयुक्त मंच द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 द्वारा सौंपी गई संक्षिप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को बेदखल करके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को उचित मंच के समक्ष रखरखाव भत्ते में बदलाव के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 10 के तहत बाद में आवेदन करने की स्वतंत्रता है। उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति देते समय, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

डिवीजन बेंच का विवादित निर्णय और आदेश

( (i)

कर्नाटक उच्च न्यायालय दिनांक 17 सितंबर 2019 अपीलार्थी के खिलाफ बेदखली के आदेश की पुष्टि करते हुए इस परिणाम के साथ दरकिनार कर देगा कि सहायक आयुक्त का आदेश और अपीलार्थी को निर्देश देना

सूट परिसर को खाली करने के लिए अलग रखा जाएगा;

( (ख)

हम अपीलार्थी के लिए अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए इसे खुला छोड़ते हैं

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत। उस उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों की मदद लेना खुला रहेगा और यदि अपीलकर्ता ऐसा करता है, तो सभी

उसे आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान की जाएगी।

उसके कानूनी उपायों और अधिकारों का पीछा करना;

( iii)

बिजली कनेक्शन की बहाली के लिए आई. ए. 111352/2020

वानिता बनाम से दो सप्ताह की अवधि के भीतर परिसर में बिजली कनेक्शन की बहाली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए चौथे प्रतिवादी को निर्देश देकर अनुमति दी जाती है।

डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु एन डिस्ट्रिक्ट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति। चौथा प्रतिवादी भी भविष्य में बिजली बकाया का भुगतान करना जारी रखेगा; और

अपीलार्थी को पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत अपने उपायों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए, एक आदेश और निर्देश होगा जो प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने, परिसर का निपटान करने या किसी भी मामले में किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व और हित बनाने से रोकता है।

एक वर्ष की अवधि के लिए जो भी हो, ताकि अपीलार्थी कानून के अनुसार अपने उपायों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके।

अपीलार्थी उचित आदेशों के लिए पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के तहत अपने उपायों का समर्थन करने के लिए न्यायालय का रुख करने के लिए स्वतंत्र है।

अंतरिम सुरक्षा सहित।

उपरोक्त (iii) और (iv) में निहित निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अभ्यास में सामने आते हैं।

उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। निजी उत्तरदाताओं से अपीलार्थी की राशि 25,000 रुपये आंकी गई है।

समाप्ति आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

आईपैथी